सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 298 राँची, शुक्रवार

18 वैशाख, 1937 (श०)

8 मई, 2015 (ई०)

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

---

संकल्प

1 मई, 2015

**कृपया पढ़े:-**

1. उपायुक्त, हजारीबाग का पत्रांक-1860/गो0, दिनांक 04 जून, 2004, पत्रांक- 1054/स्था0, दिनांक 19 सितम्बर, 2008 एवं पत्रांक-653/स्था0, दिनांक 01 अगस्त, 2014

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-4628, दिनांक 08 अगस्त, 2011 एवं पत्रांक-260, दिनांक 10 जनवरी, 2012

3. राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड का पत्रांक-2719, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

---

**संख्याः 5/आरोप-1-80/2014 का.-4033--** श्री भीष्म कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 539/03, गृह जिला- नालन्दा), के विरूद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरातू, हजारीबाग के पद पर पदस्थापन अवधि में उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1860/गो0, दिनांक 04 जून, 2004 द्वारा प्रपत्र- 'क' प्राप्त है ।

2. प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध आरोप है कि 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' के तहत् वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए हजारीबाग जिले को प्राप्त आवंटन के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरातू के कार्यावधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सुयोग्य कन्याओं के विवाह हेतु सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, किन्तु निर्धारित अवधि व्यतीत होने जाने के बावजूद वांछित सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार, अपने उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं महत्वपूर्ण कार्य में उदासीनता बरती गयी है। इसके फलस्वरूप गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन बसर करने वाले परिवार को उसका लाभ नहीं मिल पाया ।

3. उपायुक्त, हजारीबाग के ही पत्रांक-1054/स्था0, दिनांक 19 सितम्बर, 2008 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध पुनः एक प्रपत्र- 'क' प्राप्त है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

(i) दिनांक 29 दिसम्बर, 2003 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित शीर्षक 'उग्रवादियों को लाखों का ठेका दे रखे हैं पतरातू के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी' में स्पष्ट किया गया है कि श्री कुमार द्वारा योजना का ठेका ऐसे व्यक्ति को दिया गया है, जो उग्रवादियों के सम्पर्क में हैं ।

(ii) श्री कुमार द्वारा पतरातू प्रखण्ड अन्तर्गत भुरकुण्डा खेपा बाबा आश्रम धार्मिक स्थल पर एक भवन का निर्माण सरकार के मार्गदर्शिका के प्रतिकूल किया गया है ।

(iii) अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सहकारिता विभाग के मार्गदर्शिका सिद्धांत के प्रतिकूल प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को पंचायत को प्रभार दिलाया गया ।

(iv) आपके द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना किए जाने का मामला परिलक्षित होता है ।

4. विभागीय पत्रांक-4628, दिनांक 08 अगस्त, 2011 एवं पत्रांक-260, दिनांक 10 जनवरी, 2012 द्वारा श्री कुमार से क्रमशः कंडिका-2 एवं 3 में प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी ।

5. श्री कुमार के पत्रांक-1044, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 एवं पत्रांक-159, दिनांक 22 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

6. उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-653/स्था0, दिनांक 01 अगस्त, 2014 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उपर्युक्त कंडिका-2 एवं 3 (iv) में प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया है ।

7. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, हजारीबाग के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, उपायुक्त, हजारीबाग के मंतव्य से सहमत होते हुए असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-49 के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं0-10401, दिनांक-22 अक्टूबर, 2014 द्वारा श्री कुमार पर 'निन्दन' की सजा अधिरोपित की गयी ।

8. राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2719, दिनांक-17 दिसम्बर, 2014 के माध्यम से प्राप्त श्री कुमार के पत्रांक-870/आई0टी0डी0ए0, दिनांक-13 नवम्बर, 2014 द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री कुमार द्वारा निम्नवत् तथ्य अंकित किये गये हैं:-

(क) इनका कहना है कि इनके विरूद्ध उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा आरोप लगाया गया है, जिसके विरूद्ध इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। पुनः इनके स्पष्टीकरण पर आरोप लगाने वाले उपायुक्त, हजारीबाग से ही मंतव्य की माँग गयी है। यह नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है ।

(ख) इनके द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक 08 नवम्बर, 2011 एवं 22 फरवरी, 2012 को समर्पित किया गया। उपायुक्त का मंतव्य ढाई साल बाद दिनांक 01 अगस्त, 2014 को प्राप्त हुआ एवं दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को सजा अधिरोपित की गयी। ऐसा जानबूझ कर संयुक्त सचिव स्तर में इनकी प्रोन्नति रोकने के लिए दण्ड अधिरोपित किया गया ।

(ग) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित आरोप इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरातू के कार्यावधि वर्ष 2003-04 की है। इनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया था कि कन्यादान योजना के लाभुकों की सूची दिनांक 25 मार्च, 2004 तक माँगा गया था, जिसे विशेष दूत से दिनांक 29 मार्च, 2004 को भेजा गया। उक्त सूची से ही अगले वित्तीय वर्ष में लाभुकों को लाभान्वित किया गया। इससे स्पष्ट है कि इनके स्तर पर उदासीनता नहीं बरती गयी ।

(घ) सजा अधिरोपित करने के क्रम में विभाग द्वारा तत्कालीन उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा प्रतिवेदित वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति का भी अवलोकन नहीं किया गया। बिना उक्त अवधि की गोपनीय अभ्युक्ति का अवलोकन किये पदाधिकारी का समेकित आकलन नहीं किया जा सकता है ।

(ङ) उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना संबंधी आरोप के संबंध में इनका कहना है कि तत्कालीन उपायुक्त द्वारा प्रतिवेदित आरोप मिथ्या एवं अभिलेखीय साक्ष्य से परे है। इनके द्वारा किसी भी

आदेश की अवहेलना नहीं की गयी है। इस संबंध में इनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि इस मामले की जाँच विभाग के निर्देश पर मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा भी किया जा रहा था। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह अवगत कराया गया था कि निगरानी जाँच निगरानी ब्यूरो के परिवाद संख्या-289/04 द्वारा भी की गयी है। विषयान्तर्गत आरोप से संबंधित जाँच प्रतिवेदन भी विभाग द्वारा नहीं मँगाया गया। इसे अविलम्ब मँगाकर वस्तुस्थिति से अवगत होकर निर्णय लिया जा सकता था, जो नहीं किया गया ।

(च) निन्दन की सजा अधिरोपित करने का निर्णय पक्षपातपूर्ण एवं प्रोन्नति को बाधित करने के लिए लिया गया है। इसलिए सजा से मुक्त करते हुए नियत समय पर प्रोन्नति देने हेतु अनुरोध किया गया है ।

9. श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील आवेदन की समीक्षा में पाया गया कि-

(क) श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, हजारीबाग से मंतव्य प्राप्त करना नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों से संबंधित अभिलेख उपायुक्त, हजारीबाग के कार्यालय में संधारित है। इसलिए स्पष्टीकरण में समर्पित तथ्यों की सत्यता की पुष्टि हेतु उपायुक्त, हजारीबाग से मंतव्य माँगना आवश्यक है ।

(ख) श्री कुमार द्वारा कन्यादान योजना से संबंधित आरोप के प्रसंग में स्पष्टीकरण अपने पत्रांक-1044, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना से संबंधित आरोप के प्रसंग में स्पष्टीकरण अपने पत्रांक-159, दिनांक 22 फरवरी, 2012 द्वारा समर्पित किया गया है। इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, हजारीबाग से मंतव्य की माँग की गयी है। कई स्मार के बाद उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-653, दिनांक 01 अगस्त, 2014 द्वारा समर्पित मंतव्य में इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया है। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त से प्राप्त मंतव्य के आलोक में इन पर दण्ड अधिरोपित किया गया है। इसलिए यह पक्षपातपूर्ण नहीं है ।

(ग) उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1054/स्था0, दिनांक 19 सितम्बर, 2008 के द्वारा प्राप्त प्रपत्र-'क' के कंडिका-4 में श्री कुमार के विरूद्ध उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया गया है। इस आरोप के प्रसंग में समर्पित स्पष्टीकरण में इनके द्वारा तत्कालीन उपायुक्त के विरूद्ध आरोप लगाया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है। इसलिए उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का आरोप प्रमाणित माना गया है ।

(घ) श्री कुमार द्वारा अपील आवेदन में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित आरोपों के प्रसंग में अपने स्पष्टीकरण में दिये गये तथ्यों को दुहराया गया है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में कहा गया है कि उपायुक्त कार्यालय, हजारीबाग के द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2004 को समाचार पत्रों में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत् विज्ञापन दिया गया था एवं पत्रांक-473, दिनांक 17 फरवरी, 2004 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जिला एवं प्रखण्ड कार्यालयों में लाभुक अथवा उनके परिजनों द्वारा आवेदन समर्पित किया जाना था। इस योजना अन्तर्गत प्राप्त आवंटन के लिए सुयोग्य लाभुकों की सूची उनके द्वारा पत्र संख्या-483, दिनांक 29 मार्च, 2004 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया गया। यह इनके स्तर पर कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है ।

(ङ) आरोपों के संबंध में निर्णय आरोप में उल्लेखित तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर लिया जाता है न कि गोपनीय अभ्युक्ति के आधार पर ।

(च) प्रमाणित आरोप परिवाद संख्या-289/04 की निगरानी ब्यूरो द्वारा की गयी जाँच से संबंधित नहीं है ।

10. इस प्रकार श्री कुमार ने अपने अपील अभ्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया है, जिससे उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड 'निन्दन' अनुचित एवं असमानुपातिक प्रतीत हो। अतः श्री कुमार के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रमोद कुमार तिवारी,**

सरकार के उप सचिव ।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 298—50 ।